तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/5944/2004/भरतपुर** **बसन्ती बनाम लखमी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–

(1) श्री माघवराजसिंह, अभिभाषक, प्रार्थी।
(2) श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता अप्रार्थी। सं0 1 ल0 4

––

निर्णय **दिनांकः29.09.2021**

यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा अपील सं0 60/2004 में पारित निर्णय दिनांक 28–10–2004 बउनवानी **''बसन्ती बनाम लखमी''** के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विवादित आराजी जो कि प्रार्थी सं0 1 बसन्ती एवं प्रार्थी सं0 2 ल0 3 के दादा छुट्टन की खातेदारी की भूमि है जिनके देहान्त के बाद गलत तौर पर समस्त आराजी का निनुआ ने अपने नाम नामान्तरकरण करवाकर विवादित आराजी को गलत तौर पर विक्रयपत्र दिनांक 29–7–1999 व 12–4–2004 द्वारा विक्रय कर दिया व इस गैर कानूनी विक्रयपत्रों के आधार पर विपक्षी खरीददारान ने एक वाद प्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि उन्होंने विवादित आराजी को निनुआ से खरीद की है जिसे अब काश्त करने में प्रतिवादी/प्रार्थीगण मदाखलत करते हैं। अतः उन्हें स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें। तत्पश्चात् विपक्षीगण ने पुनः एक प्रार्थना पत्र वास्ते नियुक्त किये जाने रिसीवर पेश किया जिस पर तहसीलदार, भरतपुर को परीक्षण न्यायालय ने रिसीवर दिनांक 12–7–2004 को नियुक्त कर दिया जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण ने विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के समक्ष अपील पेश की जो प्रार्थीगण की अपील विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 28–10–2004 से निरस्त कर दी जिस निर्णय दिनांक 28–10–2004 से व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस निगरानी के गुणावगुण पर सुनी।

4– योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिया कि विद्वान सहायक कलक्टर, भरतपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/5944/2004/भरतपुर** **बसन्ती बनाम लखमी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

30–3–2011 से राजस्व वाद सं0 73/2004 बउनवानी लखमीचन्द बनाम श्रीमती बसन्ती खारिज हो चुका है जिसकी फोटो प्रति प्रस्तुत की गई।

5– योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने बहस में तर्क दिये कि जब दावा ही परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर से खारिज हो चुका है तो निगरानी को वर्तमान स्तर पर चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः निगरानी सारहीन होने के कारण खारिज की जावें।

6– हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया।

7– योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर राजस्व वाद सं0 73/2004 बउनवानी लखमीचन्द बनाम श्रीमती बसन्ती दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 निर्णय दिनांक 30–3–2011 को दावा वादीगण खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो, कि फोटो प्रति प्रस्तुत की गई। पत्रावली के अवलोकन एवं योग्य अधिवक्तागण की बहस से विदित होता है कि जब हस्तगत प्रकरण का परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर द्वारा वादीगण का दावा दिनांक 30–3–2011 को खारिज किया जा चुका है तो वर्तमान निगरानी को चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए प्रार्थी की निगरानी सारहीन होने से काबिल खारिज योग्य है।

8– अतः उपरोक्त विवेचन के निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है।

9– पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नियमानुसार नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)

सदस्य